

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-106

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

\*106. श्री सी. पी. नारायणन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) लोगों के लिए विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के संबंध में सरकार ने वर्ष 2009 में क्या लक्ष्य निर्धारित किया था;
- (ख) इस समय विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;
- (ग) वर्ष 2009 के दौरान निर्धारित लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा;
- (घ) वर्ष 2009 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत का कितना उत्पादन और करना पड़ेगा; और
- (ङ) क्या वर्तमान सरकार ने कोई अन्य लक्ष्य निर्धारित किया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 09.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय की राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) 2005 के अनुसार, उद्देश्य एवं लक्ष्यों में से एक लक्ष्य वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता 1000 यूनिट से अधिक बढ़ाना था। तथापि, वर्ष 2009 में पृथक रूप से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान प्रति व्यक्ति खपत 957 यूनिट (अंतिम) थी।

(ङ) : वर्ष 2014-15 के लिए 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-109

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए उठाये गये कदम

\*109. श्री राजीव चन्द्रशेखर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत की कमी में मौजूदा विद्युत संयंत्रों की मरम्मत के कारण हुई तीस हजार मेगावाट की कमी भी शामिल है;

(ख) उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के स्वामित्व वाले मौजूदा विद्युत संयंत्रों में सुधार और अनुरक्षण के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है और विद्युत क्षेत्र में 250 बिलियन डॉलर के निवेश के संबंध में सरकार की क्या योजना है;

(ग) वितरण के दौरान होने वाली हानि और बिजली की चोरी के कारण राजकोष को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की हानि की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 09.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : जी नहीं, राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में विद्युत की व्यस्ततम कमी वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015) के दौरान 7006 मेगावाट (4.7%) थी और माह जनवरी, 2015 के दौरान यह केवल 4,261 मेगावाट (3.1%) है। मरम्मत किए जा रहे विद्युत संयंत्रों की क्षमता दिन प्रतिदिन के आधार पर अलग-अलग होती है और इसमें योजनागत रख-रखाव के अंतर्गत विद्युत संयंत्र शामिल हैं। इस समय 21 फरवरी, 2015 तक की स्थिति के अनुसार, 6,114 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्र योजनागत रख-रखाव के अंतर्गत हैं। वर्तमान में, राज्य के स्वामित्व वाली 2,479.9 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र सहित विद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षिक करने के लिए हाल ही में विभिन्न पहलें की हैं।

(ग) : राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक लेखे संबंधी आंकड़ों के आधार पर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन को शामिल करते हुए "राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" प्रकाशित की है, उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली सभी यूटिलिटियों द्वारा वहन की गई कुल हानियां (प्राप्ति के आधार पर कर-पश्चात्) 2012-13 के दौरान 69,108 करोड़ रुपए थीं।

इन हानियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत की चोरी, आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व वसूली के बीच अंतर, अपर्याप्त मीटरिंग और खराब बिलिंग तथा संग्रह दक्षता आदि सहित वितरण हानियां शामिल हैं।

(घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह वितरण लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रचालन क्षेत्र में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाएं और बिजली की चोरी सहित वितरण हानियों को कम करने के लिए कार्रवाई करें।

केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। हाल ही में, भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण वितरण अवसंरचना के सुधार के लिए निधियां उपलब्ध करवाने हेतु एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) मंजूर की है। इन स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता, सकल पारेषण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी से भी जुड़ी हुई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-114

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

राज्यों को विद्युत-आवंटन

\*114. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या किसी राज्य में स्थापित विद्युत संयंत्रों से उस राज्य को विद्युत का आवंटन वरीयता के आधार पर किया जाता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विद्युत वितरण के संबंध में क्या दिशानिर्देश हैं;
- (ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में मौजूदा विद्युत संकट को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर उस राज्य के लिए एक अलग विद्युत गलियारा बनाये जाने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"राज्यों को विद्युत आबंटन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 09.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को विद्युत के आबंटन के लिए मानदंडों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में है।

(ग) और (घ) पारेषण कारीडोरों की आयोजना एकीकृत रूप से विभिन्न उत्पादक स्टेशनों से किसी राज्य अथवा किसी क्षेत्र को विद्युत की निकासी की माँग को ध्यान में रखते हुए की जाती है। निर्माणाधीन अन्तर्क्षेत्रीय कारीडोर, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लिए विद्युत की निकासी सुविधाजनक होगी, **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध-1

"राज्यों को विद्युत आबंटन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 09.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

केंद्रीय उत्पादक केंद्रों से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन, विद्युत-आबंटन के फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात् 85% का निश्चित आबंटन होता है तथा 15% अनाबंटित विद्युत तात्कालिक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आबंटित की जाती है।

निश्चित आबंटन में, जल विद्युत केंद्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (सशुल्क) विद्युत का आबंटन शामिल है।

शेष विद्युत (हाइड्रो के मामले में 72% तथा ताप एवं नाभिकीय के मामले में 75%) का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, किया जाता है। केंद्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान देने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुसार निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देश उन उत्पादन केंद्रों पर भी लागू हैं, जिनके लिए 5 जनवरी, 2011 तक पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और ये मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए भी लागू हैं। 5 जनवरी, 2011 के पश्चात, वितरण कंपनियों/यूटिलिटीयों द्वारा विद्युत का प्रापण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाना होता है। एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं में, केंद्र सरकार ने जनवरी, 2011 में, 'गृह' राज्य को 50% विद्युत का आबंटन करने का, 15% अनाबंटित विद्युत भारत सरकार के अधिकार में रखने का और उस क्षेत्र के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को, विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा विगत 5 वर्षों में की गई ऊर्जा खपत को समान महत्व देते हुए, 35% विद्युत का आबंटन करने का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार की व्यवस्था नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी की गई है।

\*\*\*\*\*

"राज्यों को विद्युत आबंटन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 09.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), पूर्वी क्षेत्र (ईआर), पश्चिमी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र के बीच नए अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण कारीडोर

➤ **पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के बीच मुख्य चालू/नियोजित पारेषण लाइनें**

- ग्वालियर (पश्चिमी क्षेत्र)- जयपुर (उत्तरी क्षेत्र-राजस्थान) 765 केवी 2xएस/सी लाइन (निर्माणाधीन तथा जून, 2015 तक पूरी होनी सम्भावित)
- ±800 केवी, 6000 मेगावाट एचवीडीसी बाइपोल चम्पा (पश्चिमी क्षेत्र) और कुरुक्षेत्र (उत्तर पूर्व हरियाणा) के बीच (निर्माणाधीन 3000 मेगावाट, मार्च 2016 तक पूरी होनी सम्भावित तथा 2018-19 तक अगली 3000 मेगावाट)
- जबलपुर पूल (पश्चिमी क्षेत्र)- ओराई (उत्तरी क्षेत्र-उत्तर प्रदेश) 765 केवी डी/सी लाइन (2018-19 तक)
- बनासकाण्ठा (पश्चिमी क्षेत्र)- चित्तौड़गढ़ (उत्तरी क्षेत्र- राजस्थान) 765 केवीडीसी (2018-19 तक)

इसके अलावा, उत्तर क्षेत्र/उत्तर प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच निम्नलिखित मुख्य अन्तर्क्षेत्रीय लाइनें कार्यान्वयनाधीन हैं जिसमें उत्तरी क्षेत्र/उत्तर प्रदेश को विद्युत की सुपुदगी भी सुविधाजनक होगी:-

➤ **उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच मुख्य चालू लाइनें**

- बाढ़-II (पूर्वी क्षेत्र)- गोरखपुर (उत्तरी क्षेत्र- उत्तर प्रदेश) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन (निर्माणाधीन और मई 2015 तक पूरी होनी सम्भावित)
- गया (पूर्वी क्षेत्र)- वाराणसी (उत्तरी क्षेत्र- उत्तर प्रदेश) 765 केवी एस/सी लाइन (निर्माणाधीन तथा जुलाई 2015 तक पूरी होनी सम्भावित)
- बिहारशरीफ- (पूर्वी क्षेत्र) - वाराणसी (उत्तरी क्षेत्र- उत्तर प्रदेश) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड) (निर्माणाधीन तथा जुलाई 2015 तक पूरी होनी सम्भावित)

➤ **उत्तरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच मुख्य चालू लाइनें**

- विश्वनाथ चरिआली (पूर्वोत्तर क्षेत्र)- आगरा (उत्तरी क्षेत्र- उत्तर प्रदेश) +/- 800 केवी, 6000 मेगावाट एचवीडीसी लाइन (निर्माणाधीन तथा 2015-16 तक पूरी होनी सम्भावित)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1204

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु लक्ष्य

1204. श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश 2019 में विद्युत अधिशेष की स्थिति में होगा क्योंकि इस संबंध में सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है;
- (ख) क्या सरकार वर्तमान विद्युत उत्पादन को दुगुना करने पर विचार कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह लक्ष्य अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता और कड़ी ऊर्जा संरक्षण प्रक्रियाओं को अपनाने जैसे उपायों के संयोजन से हासिल किया जाएगा; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान परम्परागत स्रोतों से उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य अखिल भारतीय आधार पर 88,537 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से नियोजित क्षमता अभिवृद्धि 30,000 मेगावाट है। इस क्षमता अभिवृद्धि से 18वें (इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण) ईपीएस के अनुसार, विद्युत की प्रक्षेपित मांग को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक पूरा किए जाने की सम्भावना है।

वर्ष 2018-19 के दौरान 18वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, प्रक्षेपित व्यस्ततम मांग और इलैक्ट्रिक ऊर्जा मांग क्रमशः 2,29,465 मेगावाट और 1552 बीयू है। 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्भाव्य लाभों के लिए निर्माणाधीन परम्परागत और नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं से, 18वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, 2018-19 के दौरान प्रक्षेपित विद्युत मांग पूरा किए जाने की सम्भावना है। तथापि, 13वीं पंचवर्षीय योजना (2017-22) के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

**(ख) और (ग) :** इलैक्ट्रिक ऊर्जा उत्पादन इलैक्ट्रिकल ऊर्जा की मांग पर निर्भर करता है। वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत उत्पादन लक्ष्य 1023 बीयू है। देश में वर्ष 2018-19 (18वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार) के दौरान प्रक्षेपित इलैक्ट्रिकल ऊर्जा मांग 1552 बीयू (ईएक्स-बस) है। 7% नारमेटिव सहायक उपभोग मानते हुए, 2018-19 के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन मांग 1669 बीयू होगी।

**(घ) और (ङ) :** यह लक्ष्य अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता तथा सख्त ऊर्जा संरक्षण प्रक्रियाओं जैसे उपायों के संयोजन से प्राप्त किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उत्पादन क्षमता के लिए आयोजना के अतिरिक्त, सरकार ने मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम), ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण स्कीमों के परिणामस्वरूप 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक 44.85 बीयू की ऊर्जा बचत का लक्ष्य हासिल करना भी निर्धारित किया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1205

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

एन.टी.पी.सी. और पी.जी.सी.आई.एल. में ठेके पर कार्यरत श्रमिक

1205. श्री तपन कुमार सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. और भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) ने अपने-अपने विद्युत स्टेशनों और स्थानों पर ठेके पर श्रमिकों को नियुक्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या एन.टी.पी.सी., पी.जी.सी.आई.एल. और उनके द्वारा नियुक्त ठेकेदार उक्त श्रेणियों के संविदा श्रमिकों के अभिलेखों का अनुरक्षण करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी और पीजीसीआईएल अपने विद्युत स्टेशनों एवं पारेषण स्थानों पर सीधे ठेके पर श्रमिकों को नियुक्त नहीं करते हैं।

(ख) : एनटीपीसी ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए श्रमिकों का रिकॉर्ड नहीं रखती है। प्रधान नियोक्ता के रूप में पीजीसीआईएल साइट के स्थानीय प्रभारी इंजीनियर उन ठेकेदारों के रजिस्टर का रख-रखाव करते हैं जो बदले में अपेक्षित रिकॉर्ड रखते हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1206  
जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं

1206. श्रीमती बिमला कश्यप सूद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हिमाचल प्रदेश में 22 मेगावाट से लेकर 111 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली सरकारी/अर्धसरकारी जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या हिमाचल प्रदेश में इतनी जल विद्युत परियोजनाओं के बावजूद यहां अन्य राज्यों की तुलना में बिजली महंगी है;
- (ग) क्या हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड जल्दी ही बिजली दरों को फिर से 20 प्रतिशत महंगा करने की तैयारी कर चुका है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : हिमाचल प्रदेश में प्रचालनाधीन 25 मेगावाट से 111 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता वाली पांच जलविद्युत परियोजनाएं अर्थात् गिरी बाटा (60 मेगावाट), बस्सी (60 मेगावाट), मलाना (86 मेगावाट), मलाना-II (100 मेगावाट) और बुढील (70 मेगावाट) हैं।

(ख) : राज्यों में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रशुल्क हैं। तथापि, सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पुद्दुचेरी और गोवा को छोड़कर अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती है।

(ग) और (घ) : केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1207

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

1207. डॉ संजय सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए विचाराधीन विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
- (ख) सरकार के द्वारा देश में विद्युत व्यवस्था को सुधारने के क्रम में इन लंबित प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) :

i) जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाएं :

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमति दी गई कुल 21,344 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 32 जल विद्युत परियोजनाएं वन और/अथवा पर्यावरण स्वीकृतियों के लिए लंबित हैं। तथापि, लंबित परियोजनाओं की सूची में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की कोई परियोजना नहीं है। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। वन और/अथवा पर्यावरण स्वीकृति के लिए कोई ताप विद्युत परियोजना लंबित नहीं है।

ii) पारेषण लाइन परियोजनाएं

पारेषण लाइन परियोजनाएं 3 जिलों अर्थात् राजस्थान में अलवर तथा हरियाणा में गुड़गांव और मेवात को छोड़कर विभिन्न प्रदूषण कानूनों और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) की दिनांक 29.11.1999 की अधिसूचना

के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति अनुमोदित करने की शक्ति प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञ समिति को दी गई है। अतः पर्यावरण और वन मंत्रालय को कोई मामला भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।

केवल एक पारेषण परियोजना हरियाणा राज्य सरकार में लंबित है और इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम / (स्थान)	राज्य सरकार के साथ लंबित मुद्दों का संक्षिप्त इतिहास
1.	झारखंड और पश्चिम बंगाल में चरण-1 उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली (भाग-ख) (1) कानपुर-झटीकरा 765 केवी एस/सी लाइन हरियाणा के गुड़गांव/नूह-मेवात जिले से गुजर रही है।	प्रस्ताव 5 जुलाई, 2013 को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति की विद्युत मंत्रालय द्वारा भी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। शीघ्र स्वीकृति देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 09.03.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सीईए द्वारा सहमति प्राप्त और वन एवं/या पर्यावरण स्वीकृति के लिए लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
<b>जम्मू एवं कश्मीर</b>				
1	न्यू गंदरवाल	राज्य	जेकेएसपीडीसी	93
<b>हिमाचल प्रदेश</b>				
2	मियार	निजी	एमएचपीसीएल	120
3	चांगों यांगथांग	निजी	एमपीसीएल	180
4	छतरू	निजी	डीएससी	126
<b>उत्तराखंड</b>				
5	कोटलीभेल चरण-I क	केंद्रीय	एनएचपीसी	195
6	कोटलीभेल चरण- II-IX	केंद्रीय	एनएचपीसी	320
7	कोटलीभेल चरण-II	केंद्रीय	एनएचपीसी	530
8	रूपसियाबगार खसियाबाड़ा	केंद्रीय	एनटीपीसी	261
9	व्यासी	राज्य	यूजेवीएनएल	120
10	देवसारी	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	252
<b>छत्तीसगढ़</b>				
11	मतनार	राज्य	सीएसपीसीपीएल	60
<b>सिक्किम</b>				
12	तीस्ता चरण-IV	केंद्रीय	एनएचपीसी	520
<b>केरल</b>				
13	अथिरापिल्ली	राज्य	केएसईबी	163
<b>कर्नाटक</b>				
14	गुंदिया	राज्य	केपीसीएल	200
<b>मणिपुर</b>				
15	तिपाईमुख	केंद्रीय	एनएचपीसी	1500
16	लोकटक डी/एस	केंद्रीय	एलडीएचपीसीएल	66
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>				
17	दिबांग	केंद्रीय	एनएचपीसी	3000
18	डिबिन	निजी	केएसकेडीएचपीएल	120
19	लोअर सियांग	निजी	जेएवीएल	2700
20	नियामजंग छू	निजी	बीईएल	780
21	तवांग चरण-I	केंद्रीय	एनएचपीसी	600
22	टाटो-II	निजी	टीएचपीपीएल	700
23	तवांग चरण-II	केंद्रीय	एनएचपीसी	800
24	हिरोंग	निजी	जेएपीएल	500
25	इटालिन	निजी	ईएचईपीसीएल	3097
26	तालॉंग लोंदा	निजी	जीएमआर	225
27	नैथिंग	निजी	एनडीएससीपीएल	1000
28	सियोम	निजी	एसएचपीपीएल	1000
29	कलाई-II	निजी	केपीपीएल	1200
<b>मिजोरम</b>				
30	कोलोडाइन चरण-II	केंद्रीय	एनटीपीसी	460
<b>नागालैंड</b>				
31	दिखू	निजी	एनएमपीपीएल	186
<b>मेघालय</b>				
32	किशी-I	निजी	एकेपीपीएल	270
<b>कुल : अखिल भारत</b>				<b>21344</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1208

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थिति

1208. श्री मोती लाल वीरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बारह महत्वाकांक्षी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) स्वीकृति के लिए लंबित हैं;
- (ख) क्या निजी क्षेत्र की आपत्ति के कारण तमिलनाडु और ओडिशा की यूएमपीपी परियोजनाओं की निविदाओं को रद्द कर दिया गया था;
- (ग) यदि हां, तो प्रत्येक यूएमपीपी की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (घ) प्रत्येक परियोजना से कितनी बिजली पैदा होगी और प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय आने का अनुमान है; और
- (ङ) इन परियोजनाएं को कब तक कार्यान्वित किए जाने का अनुमान है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : प्रारंभ में देश के विभिन्न भागों में प्रत्येक लगभग 4000 मेगावाट की क्षमता वाले सोलह यूएमपीपी की पहचान की गई थी। इनमें से चार यूएमपीपी अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम तथा झारखंड में तिलैया सफल बोलीदाताओं को अवार्ड किया जा चुका है। वित्तमंत्री 2015-16 के बजट में पहले ही घोषित कर चुके हैं कि ढांचागत क्षेत्र (विद्युत सहित) में परियोजनाएं "प्लग एंड प्ले मोड" में होंगी।

(ख) और (ग) : सरकार ने ओडिशा में बेदाबहल और तमिलनाडु में चेर्यूर अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की बोलियां पर्याप्त उत्तर न मिलने होने के कारण रद्द कर दी हैं। इस प्रक्रिया को 2015-16 में पूरा करने के लिए कार्रवाई की गई है।

(घ) : इन यूएमपीपी में प्रत्येक की क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) पहल के तहत, परियोजना की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंध तथा निधियों की व्यवस्था करने का दायित्व चिन्हित विकासकर्ता का होता है।

(ङ) : विकासकर्ता के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना के चालू होने में लगभग पांच वर्ष लगते हैं। टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के आधार पर विकासकर्ता का चयन होने के पश्चात ही यूएमपीपी की क्रियान्वयन अनुसूची की सही जानकारी मिल सकती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1209

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

राज्य विद्युत बोर्डों का कार्य-निष्पादन

1209. श्री एस. थंगावेलु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों का संचित ऋण 3,04,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है और उनकी हानि 2,52,000 करोड़ रुपए है जिसके कारण उनका वित्तीय ढांचा चरमराने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये राज्य बिजली बोर्ड कम प्रापण कर रहे हैं ताकि वित्तीय घाटे को कम किया जा सके क्योंकि इस वर्ष बिजली दरों के अत्यल्प संशोधनों के कारण टैरिफ की कमी में इजाफा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित किए गए राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन को शामिल किए जाने संबंधी रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री की गई विद्युत यूटिलिटीयों के लिए लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर कुल बकाया ऋण और संचित हानियां नीचे दी गई हैं:

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
कुल बकाया ऋण (करोड़ रुपए में)	3,04,257
तुलन पत्र के अनुसार संचित लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए में)	(2,50,412)

ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : यह कहना सही नहीं है कि यूटिलिटीयों द्वारा विद्युत की खरीद में कमी आई है। चालू वर्ष अप्रैल-जनवरी, 2014-15 के दौरान यूटिलिटीयों को उपलब्ध कराई गई ऊर्जा में विगत वर्ष की इसी अवधि में 8.2% की वृद्धि हुई है। इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई नीतियों के प्रावधानों की तर्ज पर उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 63 के अंतर्गत प्रशुल्क निर्धारण किया जाता है। केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली उत्पादन और पारेषण कंपनियों के लिए प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसमें राज्य विनियामक आयोग द्वारा राज्य में उत्पादन, आपूर्ति और पारेषण के लिए प्रशुल्क निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार से राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) सार्वजनिक और निजी वितरण लाइसेंसियों दोनों के लिए समय-समय पर प्रशुल्क निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित करती है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

राज्य सभा में दिनांक 09.03.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1209 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**सीधे उपभोक्ताओं को बेची जा रही यूटिलिटीयों के लिए कुल बकाया ऋण और संचयी लाभ/(हानि)**

रुपए करोड़ में

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2012-13	
			कुल बकाया ऋण	तुलन-पत्र के अनुसार संचयी लाभ/हानि
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	0	
		एनबीपीडीसीएल	1,389	(56)
		एसबीपीडीसीएल	1,832	(84)
	झारखंड	जेएसईबी	9,940	(10,165)
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	0	0
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	9,197	(161)
	ओडिशा	नेसको	670	(906)
		सेसको	548	(802)
		वेसको	589	(716)
		सेसू	1,668	(1,859)
पूर्वी कुल			<b>25,834</b>	<b>(14,749)</b>
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पीडी	0	(1,610)
	असम	एपीडीसीएल	1,351	(1,880)
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	79	(2,075)
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	214	0
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	16	(1,043)
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	150	(1,361)
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	18	(683)
पूर्वोत्तर कुल			<b>1,828</b>	<b>(8,651)</b>
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	4,599	247
		बीएसईएस यमुना	3,171	219
		टीपीडीडीएल	3,762	1,581
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	8,056	(8,638)
		यूएचबीवीएनएल	14,515	(14,720)
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	4,473	(1,940)
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	147	(19,896)
	पंजाब	पीएसपीसीएल	19,790	(1,881)
	राजस्थान	एवीवीएनएल	22,667	(18,408)
		जेडीवीवीएनएल	20,954	(17,291)
		जेवीवीएनएल	20,520	(17,593)
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	10,503	(13,662)
		केसको	1,979	(2,647)
		एमवीवीएन	6,642	(8,470)
		पश्चिम वीवीएन	6,819	(7,583)
		पूर्व वीवीएन	7,694	(11,016)
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	1,344	(2,016)

उत्तरी कुल			157,634	(143,715)
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	7,808	(7,830)
		एपीईपीडीसीएल	3,233	(1,559)
		एपीएनपीडीसीएल	4,159	(3,512)
		एपीएसपीडीसीएल	6,302	(4,528)
	कर्नाटक	बेसकॉम	3,419	(665)
		चेसकॉम	336	(667)
		गेसकॉम	455	(331)
		हेसकॉम	1,126	(643)
		मेसकॉम	453	71
	केरल	केएसईवी	4,077	2,208
	पुदुचेरी	पुदुचेरी पीडी	0	(385)
	तमिलनाडु	टांगैडको	45,198	(38,480)
दक्षिणी कुल			76,566	(56,321)
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	1,052	(3,387)
	गोवा	गोवा पीडी	109	372
	गुजरात	डीजीवीसीएल	274	221
		एमजीवीसीएल	335	140
		पीजीवीसीएल	1,278	73
		यूजीवीसीएल	536	49
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	7,593	(6,001)
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	7,055	(5,923)
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	8,038	(6,937)
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	16,127	(5,584)
पश्चिमी कुल			42,396	(26,977)
सकल योग			304,257	(250,412)

(स्रोत: पीएफसी)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1210

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

राज्य विद्युत बोर्डों की बिजली खरीद समझौते पर  
हस्ताक्षर की अनिच्छा

1210. श्री एस. थंगावेलु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत के विद्युत उत्पादक, जो अगले कुछ वर्षों में 25000 मेगावाट से भी अधिक नई क्षमता का योगदान देने वाले हैं, विद्युत की खरीद के समझौते पर राज्य के विद्युत बोर्डों की हस्ताक्षर करने की अनिच्छुकता के कारण अंधकारमय भविष्य का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे बिजली आपूर्ति में कटौती करने और स्पॉट बाजार से सस्ती बिजली खरीदना पसंद करते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश भर में विद्युत की मांग में बड़ी वृद्धि का अभाव खाद्य चिंता का विषय है क्योंकि पिछले वित्त वर्ष के आकलन के अनुसार ये मात्र 0.4 प्रतिशत के आसपास थी जो बहुत कम है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं। भारत में विद्युत उत्पादक किसी भी निराशाजनक भविष्य का सामना नहीं कर रहे हैं। विद्युत का बाजार गतिशील प्रकृति का होता है और समझी गई जरूरत पर निर्भर करते हुए राज्य यूटिलिटियां समय-समय पर विद्युत की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करती हैं। अप्रैल-जनवरी 2014-15 के दौरान 3.8% की ऊर्जा कमी हुई थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सकल उत्पादन में 9.3% की वृद्धि हुई थी।

(ग) और (घ) : पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष में ऊर्जा एवं व्यस्ततम, दोनों के संदर्भ में मांग में वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	वृद्धि %	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	वृद्धि %
2012-13	995,557	6.2	135,453	4.2
2013-14	10,02,045	0.7	1,35,918	0.3
अप्रैल, 2014 से जनवरी, 15*	9,03,104	7.7	1,48,166	9.3

\* पूर्ववर्ती वर्ष (अप्रैल, 2013 - जनवरी, 2014) की इसी अवधि के संदर्भ में वृद्धि

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1211

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

उत्तराखण्ड में जल विद्युत परियोजनाएं

1211. डॉ. टी. सुब्बाराजी रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इस बात के मद्देनजर कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो वहां पर छह जल विद्युत परियोजना समूह को अनुमति देने पर सरकार का रुख क्या है;
- (ख) कितनी परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी और कितनी परियोजनाओं को वन मंजूरी प्राप्त हुई है;
- (ग) क्या विभिन्न प्राधिकारियों से मंजूरी लेने के संबंध में इन परियोजनाओं में कोई खामियां पाई गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.12.2014 के आदेश के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने उत्तराखण्ड में छः जलविद्युत परियोजनाओं को स्वीकृत लाइसेंस की स्थिति की, ऐसे अनुमोदन दिए जाने के समय लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रस्तुत करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च, 2015 को होगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1212

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी

1212. श्री रामदास अठावले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं निगरानी करती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन का आज की तारीख तक ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार ताप और गैस विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कोई मूल्यांकन/सहमति अपेक्षित नहीं है। जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का सीईए द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 28,007 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की कुल संस्थापित क्षमता की 54 जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर का सीईए ने मूल्यांकन किया था। इनमें से, सीईए ने कुल 13,513 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की 23 परियोजनाओं को सहमति दे दी है।

चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा स्थल का निरंतर दौरा करके तथा विकासकर्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करके नियमित रूप से निगरानी की जाती है। विद्युत परियोजनाओं की निगरानी रखने के लिए विद्युत मंत्रालय ने विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) भी स्थापित किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1213

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन की लागत और विक्रय मूल्य  
के बीच अंतर

1213. श्री अनिल देसाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत और उपभोक्ताओं को इसके बिक्री मूल्य के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों में विद्युत की प्रति यूनिट उत्पादन लागत और इसका विक्रय मूल्य कितना-कितना है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस अंतर को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2013-14 में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में विद्युत की आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) निम्नानुसार है:-

दिल्ली	यूटिलिटी	आपूर्ति की औसत लागत (₹./कि.वा.घं.)	औसत राजस्व प्राप्ति (₹./कि.वा.घं.)	अधिशेष/(अंतर) (₹./कि.वा.घं.)
1.	बीएसईएस राजधानी	6.10	6.11	0.01
2.	बीएसईएस यमुना	6.52	6.54	0.02
3.	टीपीडीडीएल	4.97	5.34	0.38
<b>मुंबई</b>				
1.	बीईएसटी	11.82	8.90	(2.92)
2.	आर. इंफ्रा	8.02	8.16	0.14
3.	टीपीसी	6.33	5.81	(0.52)
4.	एमएसईडीसीएल	6.37	6.39	0.02
<b>कोलकत्ता</b>				
1.	सीईएससी लि.	4.83	5.66	0.83
<b>चेन्नई (शेष तमिलनाडु सहित)</b>				
1.	टेनजेडको	5.69	5.06	(0.63)

(ग) : उपयुक्त नीति फ्रेमवर्क एवं कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की कुल लागत में कमी लाने की दृष्टि से उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यापार में दक्षता को बढ़ावा दे रही है और वितरण एवं पारेषण अवसंरचना को भी सुदृढ़ कर रही है। हाल ही में की गई कोयला ब्लॉकों की नीलामी से भी कोयले की लागत में काफी कमी आई है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रशुल्क निकालने के नीतिगत ढांचे सहित किए गए ये उपाय प्रशुल्क दरों को कम करने में योगदान देंगे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1214

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत अधिनियम में संशोधन

1214. श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधारों का अगला दौर शुरू करने हेतु विद्युत अधिनियम को संशोधित करने पर सक्रिय रूप से विचार करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल विद्युत क्षेत्र विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समस्याओं को किस प्रकार सुलझाने का सरकार का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हां। सरकार ने मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 19 दिसंबर, 2014 को लोकसभा में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। प्रस्तावित संशोधनों में मुख्य रूप से ग्रिड सुरक्षा, खुली पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, वितरण क्षेत्र में कैरिज एवं कन्टेंट का पृथक्करण, प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया का युक्तिकरण और विनियामक आयोगों का निष्पादन पर्यवेक्षण इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) : जी हां। जलविद्युत क्षेत्रों की कुछ बाधाएं जैसे कि जलविद्युत परियोजनाओं लंबी पूर्णता अवधि, अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक, पुनर्वास और पुनर्स्थापन मामले आदि हैं।

सरकार ने जलविद्युत क्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए एक बहु-आयामी कार्य नीति अपनाई है जिसमें निवेशक हितोषी नई हाइड्रो नीति 2008; उदार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, परियोजनाओं के जल्दी पूरा करने के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल है। विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और पावर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पैनल द्वारा भी नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जाती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1215

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा

1215. श्री अशक अली टाक:

श्री नारायण लाल पंचारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं में हिस्सेदारी के संबंध में केन्द्र सरकार तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों के मध्य किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या करार में उल्लिखित परियोजनाओं में राजस्थान के हिस्से का निर्धारण किया गया है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या केन्द्र सरकार पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी से संबंधित दावे को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसकी राय जानने हेतु भेजने का विचार रखती है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा करार में उल्लिखित परियोजनाओं में राजस्थान के हिस्से का निर्धारण करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : दिनांक 10.05.1984 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों तथा भारत सरकार के बीच एक करार हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि हरियाणा और राजस्थान द्वारा आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना,, मुकेरिया जल विद्युत परियोजना, थीनबांध परियोजना, यूबीडीसी चरण-II, शाहपुरकंदी हाइडल योजना के विद्युत में हिस्से के दावे को देखते हुए भारत सरकार इस मामले पर अपनी राय देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय से इस आशय पर राय मांगी गई थी कि क्या राजस्थान और हरियाणा राज्य को इन जल विद्युत स्कीमों से उत्पादित विद्युत में अपने हिस्से के हकदार हैं और यदि वे हकदार हैं, तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा क्या होगा।

तथापि, इसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच 29-30 जुलाई, 1992 तथा 6 अगस्त, 1992 को हुई चर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय को न भेजा जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य आपसी परामर्श से एक युक्तिसंगत करार करेंगे। सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मुद्दे का समाधान करने की दृष्टि से कई औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाएं की गईं। तथापि, स्टेक होल्डर राज्यों के अलग-अलग विचार होने के कारण अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1216

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन

1216. श्री आनन्द शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताप, जल तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों तथा इनमें अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 31.01.2015 की स्थिति के अनुसार, थर्मल, जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है :-

ताप	नाभिकीय	जलविद्युत	आरईएस (30.09.2014 की स्थिति के अनुसार)	कुल (मेगावाट में)
180361.89	5780.00	40867.43	31692.14	258701.45

आरईएस : नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लघु जलविद्युत परियोजना, पवन विद्युत, बायोमास विद्युत और बायोमास शामिल है।

(ख) : विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

- (i) 12वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2016-17 तक के दौरान, 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक तथा 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि। इसमें से 9.02.2015 तक

पारंपरिक स्रोतों से लगभग 52,738 मेगावाट तथा 31.01.2015 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 9120 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की जा चुकी है।

- (ii) थर्मल संयंत्रों से बढ़े हुए उत्पादन के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता के अंतर को कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके और कोयले का आयात करके पूरा किया जा रहा है।
- (iii) मौजूदा पावर स्टेशनों के संयंत्र लोड कारक में सुधार करते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु संबंधित राज्य तथा केंद्रीय विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा पुराने थर्मल विद्युत संयंत्रों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) करना नियोजित है।
- (iv) राज्य वितरण यूटिलिटीयों (डिस्काम) की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता देने हेतु केंद्र सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की है।
- (v) उत्पादन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने हेतु पर्यावरण तथा वन मंजूरी संबंधी मुद्दों का शीघ्रता से समाधान

(ग) : उत्पादन लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, न कि योजना के आधार पर। वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	लक्ष्य (बिलियन यूनिट)	उपलब्धि (बिलियन यूनिट)	लक्ष्य का प्रतिशत
12वीं योजना			
2012-2013	930.000	912.057	98.1
2013-2014	975.000	967.150	99.2
2014-2015	1023.000		
2014-2015 (अप्रैल-जनवरी 15)*	853.758	880.681	103.2

\* अंतिम

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1217

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

पारेषण नेटवर्क के लिए ठेका

1217. श्री सालिम अन्सारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नवीकरणीय स्रोतों से 25,000 मेगावाट से 30,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा वहन करने वाला पारेषण नेटवर्क स्थापित करने वाली हरित परियोजनाओं हेतु निजी कंपनियों को आर्डर देने की योजना रखता है;
- (ख) यदि हां, तो निजी कंपनियों के चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और इन कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक कंपनी को कितनी राशि का ठेका दिया जा रहा है;
- (ग) क्या आर्डर देने हेतु चयनित कुछ कंपनियों का पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड दोषपूर्ण है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी दागी कंपनियों को ठेका देने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 12वीं पंचवर्षीय योजना में नवीकरणीय उत्पादन क्षमता के ग्रिड एकीकरण दृष्टि से "ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर" परियोजना के भाग के रूप में अंतःराज्य और अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण वाली वृहत पारेषण योजना की पहचान की गई है। पावरग्रिड अंतर्राज्यीय पारेषण सुदृढीकरण योजना (आईएसटीएस) के एक भाग का क्रियान्वयन कर रही है।

आईएसटीएस का क्रियान्वयन पावरग्रिड द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्तीय सहायता फंडिंग एजेंसी, केएफडब्ल्यू के प्रापण दिशा-निर्देशों के अनुरूप केएफडब्ल्यू, जर्मनी के माध्यम से होगी। पैकेजों की विभिन्न श्रेणियों हेतु बोलियां ई-प्रापण रूट के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया (आईसीबी) के आधार पर आमंत्रित की गई हैं/आमंत्रित की जाएंगी तथा बोली दस्तावेजों में दिए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर बोलीदाताओं का चयन किया जाता है। अतः किसी बोलीदाता को दी जाने वाली संविदा, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का अथवा निजी क्षेत्र निकाय का हो, प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के आधार पर होती है।

इसके अतिरिक्त, निविदा क्रियाकलापों के विभिन्न चरणों अर्थात् बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देना तथा बोली के लिए आमंत्रण का प्रकाशन (आईएफबी), बोलियों का मूल्यांकन तथा संविदा सौपा जाना आदि पर फंडिंग एजेंसी, केएफडब्ल्यू की पूर्व सहमति भी प्राप्त की गई है। वर्तमान में विभिन्न पैकेजों के लिए आईसीबी प्रक्रिया के तहत निविदाएं आमंत्रित की गई हैं/आमंत्रित की जाएंगी तथा कुछ पैकेजों के लिए बोलियां मूल्यांकन की प्रक्रिया के अधीन हैं। मार्च, 2015 के आगे उत्तरोत्तररूप से संविदाएं सौपी जाएंगी।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1218

जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं की प्रगति

1218. श्री पि. भट्टाचार्य:

श्रीमती अम्बिका सोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सभी भागों में सभी विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन निजी कम्पनियों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है;
- (ख) पश्चिमी बंगाल सहित देश में निजी कम्पनियों को कितनी विद्युत परियोजनाएं दी जाती हैं; और
- (ग) इन विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-अनुसूची क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 55 ताप विद्युत परियोजनाएं और 14 जल विद्युत परियोजनाओं को निजी कंपनियों को दिया जा चुका है। इनमें से एक ताप विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल में है। चालू की गई परियोजनाओं/यूनिटों और शेष परियोजनाओं/यूनिटों की मूल/प्रत्याशित अनुसूची के राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरे ताप परियोजनाओं के लिए अनुबंध-क और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुबंध-ख पर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 09.03.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1218 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

(क) 12वीं योजना के दौरान चालू की गई निजी क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	थर्मल पावरटेक कारपोरेशन लि.	यू-1	660	02.07.2015
2	आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी टीपीपी	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.	यू-2	150	7.2.2012
3	आंध्र प्रदेश	थम्मिनापट्टनाम टीपीपी-1	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	यू-1	150	9.9.2012
				यू-2	150	17.04.2013
4	छत्तीसगढ़	अकालतारा (नैयारा) टीपीपी	केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	यू-1	600	13.08.2013
				यू-2	600	22.08.2014
5	छत्तीसगढ़	अवंथा भंडार टीपीपी	कोरबा वेस्ट पावर कं. लि.	यू-1	600	31.03.2014
6	छत्तीसगढ़	बारदरहा टीपीपी	डी.बी. पावर लि.	यू-1	600	23.02.2014
7	छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	एसीबी इंडिया लि.	यू-2	135	21.06.2012
8	छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	यू-1	50	02.04.2013
9	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	मैसर्स वंदना विद्युत	यू-1	135	4.10.2014
10	छत्तीसगढ़	तमनार टीपीपी (रायगढ़)	ओ.पी. जिंदल	यू-1	600	3.10.2014
				यू-2	600	30.03.2014
11	गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर कं.	यू-2	800	25.07.2012
12	गुजरात	सलाया टीपीपी	एस्सार पावर गुजरात लि.	यू-2	600	13.06.2012
13	हरियाणा	झज्जर टीपीपी (महात्मा गांधी टीपीपी)	सीएलपी पावर इंडिया प्रा. लि.	यू-2	660	04.11.2012
14	झारखण्ड	महादेव प्रसाद टीपीपी फेज-1	आधुनिक पावर कं. लि.	यू-1	270	19.11.2012
				यू-2	270	29.03.2013
15	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-1	रतन इंडिया पावर प्रा. लि.	यू-1	270	25.03.2013
				यू-2	270	17.02.2014
				यू-3	270	29.01.2015
16	महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-1	आईपीएल	यू-1	270	20.03.2013
17	महाराष्ट्र	बुटीबोरी टीपीपी फेज-1	विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर	यू-1	300	17.08.2012
18	महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लि.	यू-1	300	11.03.2013
				यू-2	300	28.05.2014
19	महाराष्ट्र	एमको वरौरा टीपीपी	एमको एनर्जी लि. (जीएमआर)	यू-1	300	02.07.2013
				यू-2	300	27.08.2013
20	महाराष्ट्र	जीईपीएल टीपीपी	जीईपीएल	यू-1	60	09.08.2012
				यू-2	60	28.04.2012
21	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-1	रतन इंडिया नासिक पावर प्रा. लि.	यू-1	270	25.02.2014
22	महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-1	अदानी पावर लि.	यू-1	660	09.11.2012
			अदानी पावर लि.	यू-2	660	25.03.2013
23	महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-1	अदानी पावर लि.	यू-1	660	06.10.2013
24	मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाइ कं.	यू-1	250	08.12.2012
				यू-2	250	31.03.2013
25	मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	यू-2	660	18.12.2013
				यू-3	660	30.05.2013
26	ओडिशा	देरांग टीपीपी	जेआईटीपीएल	यू-1	600	05.10.2014
27	ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	जीएमआर	यू-1	350	28.03.2013

				यू-2	350	28.09.2013
				यू-3	350	21.03.2014
28	ओडिशा	स्टरलाइट टीपीपी	स्टरलाइट एनर्जी लि.	यू-4	600	25.04.2012
29	पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	यू-1	700	24.01.2014
				यू-2	700	7.06.2014
30	पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मैसर्स स्टरलाइट	यू-1	660	17.06.2014
31	राजस्थान	जलीपा-कपूर्दी टीपीपी	राज वेस्ट पावर	यू-5	135	02.05.2013
				यू-6	135	3/3/2013
32	पश्चिम बंगाल	हल्दिया टीपीपी-I	मैसर्स हल्दिया एनर्जी लि.	यू-1	300	14.01.2015
				यू-2	300	16.02.2015

**(ख) 12वीं योजना के दौरान चालू होने के लिए निर्माणाधीन निजी क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाएं**

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय
1	आंध्र प्रदेश	भवानापडु टीपीपी	मैसर्स ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.	यू-1	660	अक्टू.-13	मार्च-17
				यू-2	660	मार्च-14	अक्टू.-17
2	आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लि.	यू-1	660	मार्च-15	अप्रै.-16
				यू-2	660	जून-15	अग.-16
3	आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी कारपोरेशन लि.	थर्मल पावरटेक	यू-2	660	अग.-14	जून-15
4	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी-II	मीनाक्षा एनर्जी लि.	यू-3	350	मई-12	अग.-16
				यू-4	350	अग.-12	नव.-16
5	आंध्र प्रदेश	विजग टीपीपी कारपो. लि.	हिंदुजा नेशनल पावर	यू-1	525	जून-13	सितं.-15
				यू-2	525	सितं.-13	दिसं.-15
6	छत्तीसगढ़	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	केएसके महांडी पावर कंपनी लि.	यू-3(दूसरी)	600	दिसं.-12	दिसं.-15
7	छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	भारत एल्युमीनियम कं. लि.	यू-1	300	फर.-11	अप्रै.-15
				यू-2	300	नव.-10	जून-15
8	छत्तीसगढ़	बंदाखार टीपीपी	मैसर्स मारुति क्लीन कोल एंड पावर लि.	यू-1	300	दिसं.-12	मार्च-15
9	छत्तीसगढ़	बारदराह टीपीपी	डी.बी. पावर लि.	यू-2	600	जुला.-13	अग.-15
10	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	मैसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	यू-1	300	मार्च-13	दिसं.-15
				यू-2	300	नव.-13	मार्च-16
				यू-3	300	फर.-14	17-18
11	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	लैप प्रा. लि.	यू-3	660	जन.-13	17-18
				यू-4	660	मार्च-13	17-18
12	छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी	मैसर्स टीआरएन एनर्जी प्रा. लि.	यू-1	300	दिसं.-13	जन.-16
				यू-2	300	अप्रै.-14	अप्रै.-16
13	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	मैसर्स वंदना विद्युत	यू-2	135	सितं.-11	अप्रै.-15
14	छत्तीसगढ़	सिंधीतराई टीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	यू-1	600	जून-14	मार्च-16
15	छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	मैसर्स एसीबी	यू-1	25	जून-12	मार्च-15
16	छत्तीसगढ़	ऊचपिंडा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा. लि.	यू-1	360	मई-12	अप्रै.-15
				यू-2	360	नव.-12	जुला.-15
				यू-3	360	फर.-13	दिसं.-15
17	झारखण्ड	माताश्री उषा टीपीपी-फेड-I	मैसर्स कारपोरेट पावर लि.	यू-1	270	मई-12	17-18
				यू-2	270	जून-12	17-18
18	महाराष्ट्र	अमरावटी टीपीपी फेज-I	रतन इंडिया पावर प्रा. लि.	यू-4	270	फर.-12	मार्च-15
				यू-5	270	मार्च-12	सितं.-15
19	महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	यू-1	660	जन.-14	13वीं योजना

				यू-2	660	मई-14	13वीं योजना
20	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-1	रतन इंडिया नासिक पावर प्रा. लि.	यू-2	270	अप्रै.-12	मार्च-15
				यू-3	270	जून-12	जून-17
				यू-4	270	अग.-12	नव.-17
				यू-5	270	अक्टू.-12	मार्च-18
21	मध्य प्रदेश	अनूपपुर टीपीपी फेज-1	एमबी पावर एमपी	यू-1	600	अप्रै.-13	मार्च-15
				यू-2	600	अग.-13	जुला.-15
22	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी (डीबी पावर)	डी.पी. पावर (एमपी) लि.	यू-1	660	जून-13	13वीं योजना
23	मध्य प्रदेश	सियोनी टीपीपी फेज-1	झबुआ पावर लि.	यू-1	600	मार्च-13	अग.-15
24	ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत	यू-1	350	जून-15	जून-15
				यू-2	350	सितं.-15	सितं.-15
25	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल	यू-1	350	दिसं.-11	फर.-17
26	ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी	लैंको बाबंध पावर लि.	यू-1	660	अप्रै.-13	17-18
27	पंजाब	गोइंडवाल साहिब टीपीपी	जीवीके पावर	यू-1	270	अप्रै.-13	अक्टू.-15
				यू-2	270	अक्टू.-13	फर.-16
28	पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मैसर्स स्टेरलाइट	यू-2	660	जन.-13	मार्च-15
				यू-3	660	मई-13	जुला.-15
29	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)	आईबीपीआईएल	यू-1	660	मई-12	सितं.-17
30	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	प्रयागराज पावर जेन. कं. लि. (जे.पी. पावर वेंचर्स)	यू-1	660	फर.-14	अक्टू.-15
				यू-2	660	जुला.-14	जन.-16
				यू-3	660	दिसं.-14	अप्रै.-16

# - कार्य रोक़ा गया  
एचटी- हाइड्रो टेस्ट  
बीएलयू - बॉयलर लाइट अप  
टीजी - टरबाइन जेनरेटर  
एडब्ल्यूपीएच - ऐश वाटर पम्प होम  
बीओपी - बैलेंस ऑफ प्लांट  
एसबीओ - स्टीम ब्लोइंग ऑफ  
सीएचपी - कोल एंडलिंग प्लांट  
ईपीसी - इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंसट्रक्शन

आरओ/डीएम - रिवर्स ओसमोसिस/डिमिनीरिलाइज्ड  
जीटीजी - गैस टरबाइन जेनरेटर  
एसटीजी - स्टीम टरबाइन जेनरेटर  
ईडीटीए - एथलीन डेमियन टियेरा एसिटिक एसिड  
आरडब्ल्यूपीएच - राँ वाटर पम्प होम  
एचआरएसजी - हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर  
बीटीजी - बॉयलर टरबाइन जेनरेटर  
एनजीटी - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 09.03.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1218 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का वास्तविक/अनुमानित समय
क.	12वीं योजना के दौरान चालू की गई निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं					
1	बुधहिल, यू 1-2	हिमाचल प्रदेश	लैंको	70.00	2005-06	2012-13
2	चूजाचैन, यू 1-2	सिक्किम	गाटी	99.00	2004-05	2013-14
ख.	12वीं योजना के दौरान चालू होने के लिए निर्माणाधीन निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं					
1	सोरांग, यू 1-2	हिमाचल प्रदेश	एचएसपीसीएल	100.00	2012-13	2015-16
2	टिडोंग-I, यू 1-2	हिमाचल प्रदेश	एनएसएल टिडोंग	100.00	2013-14	2016-17
3	टंगनु रोमई, यू 1-2	हिमाचल प्रदेश	टीआरपीजी	44.00	2014-15	2016-17
4	श्रीनगर, यू 1-4	उत्तराखण्ड	एचपीसीएल	330.00	2005-06	2015-16
5	फाटा ब्यंग, यू 1-2	उत्तराखण्ड	लैंको	76.00	2013-14	2016-17
6	सिंगोली भटवारी, यू 1-3	उत्तराखण्ड	एल एंड टी	99.00	2015-16	2016-17
7	महेश्वर, यू 1-10	मध्य प्रदेश	एसएमएचपीसीएल	400.00	2001-02	2015-17
8	तीस्ता स्टे. III, यू 1-6	सिक्किम	तीस्ता ऊर्जा	1200.00	2011-12	2014-16
9	तीस्ता स्टे. VI, यू 1-4	सिक्किम	लैंको	500.00	2012-13	2016-17
10	रंगित-IV, यू 1-3	सिक्किम	जल पावर	120.00	2012-13	2016-17
11	जोरथांग लूप, यू 1-2	सिक्किम	डैस एनर्जी	96.00	2012-13	2014-15
12	भास्मे, यू 1-3	सिक्किम	गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	51.00	2012-13	2016-17

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1272  
जिसका उत्तर 09 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व

1272. श्री नारायण लाल पंचारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की 122 वीं बैठक के निर्णयानुसार राजस्थान को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वर्तमान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) सचिवालय का प्रतिनिधित्व पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में वर्णित 'पूर्व पंजाब' राज्य उत्तराधिकारी राज्यों के अधिकारियों द्वारा ही किया जा रहा है; और
- (ग) क्या भारत सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) बैठक दिनांक 26 जुलाई, 1986 के निर्णयानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : बोर्ड अर्थात् सदस्य (विद्युत) और सदस्य (सिंचाई) तथा बोर्ड सचिवालय अर्थात् सचिव एवं अपर सचिव (अब विशेष सचिव के रूप से पदनामित) की नियुक्ति को यूपितसंगत बनाने से संबंधित मामले पर बोर्ड की दिनांक 26.7.1956 को आयोजित 122वीं बैठक में चर्चा की गई थी लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन सकी।

(ख) : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार अविभाजित पंजाब के उत्तरवर्ती राज्य पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ही हैं। तथापि, बीबीएमबी सचिवालय में, बीबीएमबी के साझेदार राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान से लिए गए अधिकारी शामिल हैं।

(ग) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*